

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राज. जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/एसीपी/जोन उदयपुर/0590/2026/58

दिनांक:- 17-03-2026

सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी,
जोन-उदयपुर, राजस्थान।

विषय:- एसीपी स्वीकृत करने के संबंध में आक्षेपों की पूर्ति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके अधीन कार्यरत नर्सिंग अधिकारी/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा 09/18 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर एसीपी स्वीकृत करने के हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं, में निम्नानुसार कमियां पाई गई है:-

क्र. सं.	सम्बन्धित अधिकारी	कार्मिक का नाम	आक्षेप/कमियां
1	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर।	रेखा खांट	कार्मिका के स्थाईकरण आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।
2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर।	गणेश लाल सेगाड़ा	कार्मिक के स्थाईकरण आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।
3	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।	जशोदा डामोर	कार्मिका के सेवापुस्तिका एवं चैकलिस्ट में जन्मतिथि में विरोधाभास है।
4	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द।	सोनु सांसी	कार्मिका के नियुक्ति आदेश एवं स्थाईकरण आदेश में नाम में विरोधाभास है।
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़।	अनिता गर्ग	सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रति एवं सीएमएचओ द्वारा जारी आदेश 510 दिनांक 15.06.2018 की प्रति संलग्न करें।
6	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़।	लक्ष्मी देवी	सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रति एवं सीएमएचओ द्वारा जारी आदेश 510 दिनांक 15.06.2018 की प्रति संलग्न करें।
7	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़।	सुमन	सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रति एवं सीएमएचओ द्वारा जारी आदेश 510 दिनांक 15.06.2018 की प्रति संलग्न करें।
8	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़।	सुनिता कुमारी मेनारिया	सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रति एवं सीएमएचओ द्वारा जारी आदेश 510 दिनांक 15.06.2018 की प्रति संलग्न करें।
9	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़।	सुनिता शर्मा	सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रति एवं सीएमएचओ द्वारा जारी आदेश 510 दिनांक 15.06.2018 की प्रति संलग्न करें।
10	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़।	वन्दना गर्ग	सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रति एवं सीएमएचओ द्वारा जारी आदेश 510 दिनांक 15.06.2018 की प्रति संलग्न करें।

पता:- स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, जयपुर
(फोन न - 141-2222683 ई मेल-add4ng@gmail.com)

RajKaj Ref No.:
21072747



Signature valid

Digitally signed by Ashutosh Garg
Designation: Joint Director
Date: 2026.03.16 20:41:15 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राज. जयपुर

11	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़।	यास्मिन	सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रति एवं सीएमएचओ द्वारा जारी आदेश 510 दिनांक 15.06.2018 की प्रति संलग्न करें।
12	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, बडी सादड़ी, चित्तौड़गढ़।	मनीष सोनी स्वर्णकार	कार्मिका के नियुक्ति आदेश एवं स्थाईकरण आदेश में नाम में विरोधाभास है।
13	अधीक्षक, राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाड़ा।	पंकज कुमार निनामा	कार्मिक के नियुक्ति आदेश एवं स्थाईकरण आदेश में नाम में विरोधाभास है।
14	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।	नीरू कुमारी शर्मा	कार्मिक के स्थाईकरण आदेश की पठनीय प्रति संलग्न करें।
15	अधीक्षक, राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाड़ा।	रवि कुमार मेहता	कार्मिक के नियुक्ति आदेश एवं स्थाईकरण आदेश में नाम में विरोधाभास है।
16	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़।	चित्रलेखा शर्मा	सीएमएचओ के कार्यालय आदेश 727 दिनांक 15.09.2016 में कार्मिका की प्रथम कार्यग्रहण तिथि 11.01.2016 मध्यान्ह पश्चात् अंकित है किन्तु सेवापुस्तिका एवं स्थाईकरण आदेश में 11.01.2016 अंकित है, कारण स्पष्ट करें।
17	अधीक्षक, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर।	इन्द्रा कुमारी मीणा	कार्मिका के नियुक्ति आदेश एवं स्थाईकरण आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।
18	अधीक्षक, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर।	घनश्याम मेघवाल	कार्मिका की चैकलिस्ट सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।
19	अधीक्षक, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर।	राजेश्वरी नागदा	कार्मिका के स्थाईकरण आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।
20	अधीक्षक, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर।	पिंकी वरहात	कार्मिका के नियुक्ति आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।
21	अधीक्षक, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर।	शान्ता कुमारी मीणा	कार्मिका के नियुक्ति आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।

अतः सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक के नियुक्ति आदेशानुसार नाम एवं जन्मतिथि के परीक्षण उपरांत पूर्ण प्रस्ताव सहायक लेखाधिकारी की अभिसंशा के साथ ही प्रकरण निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ० आशुतोष गर्ग)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

पता:- स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, जयपुर
(फोन न - 141-2222683 ई मेल-add4ng@gmail.com)

RajKaj Ref No.:
21072747

Signature valid

Digitally signed by Ashutosh Garg
Designation Joint Director
Date: 2026.03.16 20:41:15 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राज. जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/एसीपी/जोन उदयपुर/0590/2026/58

दिनांक:-17-03-2026

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
2. प्रभारी, सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि संबंधित अधिकारी को ई-मेल करें।
3. रक्षित/निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

पता:- स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, जयपुर
(फोन न - 141-2222683 ई मेल-add4ng@gmail.com)

RajKaj Ref No.:
21072747

Signature valid

Digitally signed by Ashutosh Garg
Designation: Joint Director
Date: 2026.03.16 20:41:15 IST
Reason: Approved